

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

मिसल नम्बर :- 78 / 2023

GCMS नम्बर 2023/378

प्रार्थना पत्र :- प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर एक्ट 1956

उनवानी

राज्य सरकार

बनाम

अनिल कुमार आदि

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 24.05.2023 | <p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर एक्ट 1956 के तहत प्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुलताना अहीरान हेतु पेश किया गया। राजस्व जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता सं0 54 के खसरा न0 77 रकबा 0.96 अनिल कुमार पुत्र प्रहलाद व अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा न0 77 के अन्दर एक प्रचलित रास्ता जो 71 मीटर लम्बा एवं 7.04 मीटर चौड़ा है। यह प्रचलित रास्ता ग्राम सैदपुर के खसर न0 76 किस्म गैर मु. आबादी में स्थित मन्दिर को जोड़ता है। उक्त खसरा न0 के समस्त कास्तकार खातेदारों के 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथपूर्वक प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु सहमति दी है जिसकी तस्दीक तहसीलदार बुहाना द्वारा की गयी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। खसरा सं0 77 के सभी कास्तकारों के शपथपत्र एवं तहसीलदार द्वारा पेश फर्द मौका रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात यह न्यायालय उक्त प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन करना न्यायोचित पाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः वाके ग्राम सैदपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 54 में दर्ज खसरा नंबर 77 रकबा 0.96 है0 में समस्त कास्तकारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं तहसीलदार बुहाना की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर खसरा सं0 77 में प्रचलित रास्ते (लम्बाई 71 मीटर, चौड़ाई 7.04 मीटर रकबा 500 वर्ग मीटर) को प्रदर्श अ व ब के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">(अनिल कुमार चौहान) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना</p> | |

